हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज		नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
18/3/25	आज वादी ने प्रा.पत्र धारा 152 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी प्रा.पत्र शुद्ध किये जाने बाबत हिस्सा वादी पेश किया। प्रा.पत्र अनुसार निर्णय व डिक्री दिनांक 21/2/25 में प्रार्थी किशोर पुत्र केसरा जाति गुर्जर का हिस्सा 2/3 का दिखाया जबकि वादी की कुर्रैन्दाज रिपोर्ट में 1/3 हिस्सा है अतः न्यायहित में वादी का हिस्सा संशोधन कर आदेश शुद्ध किया जाना आवश्यक है।	
	प्रा.पत्र पर पत्रावली तलब की गई। निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 21/2/25 का अवलोकन किया साथ ही कुर्रैन्दाज रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया जिससे निर्णय व अंतिम डिक्री में क्रम संख्या 1 में किशोर पुत्र केसरा जाति गुर्जर के बाद हिस्सा 2/3 अंकित हो गया, जिसको शुद्ध किया जाना आवश्यक हो जाता। अतः प्रा.पत्र 152 सीपीसी व उपाहित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर और संशोधित निर्णय व डिक्री आज दिनांक 18/3/25 को पारित की जाती। आज दिनांक 18/3/25 से संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 18/3/25 ही प्रभावी रहेगी। पूर्व निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 21/2/25 प्रभावहीन/निष्प्रभावी रहेगी।	मूल नक्सा केस प्राप्त की निखिल
	निर्णय नसरे इजलास सुनाया गया।	
	उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)	

Scanned with OKEN Scanner

...न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री मनोज कुमार मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या :– 70/2023 संशोधित निर्णय दिनांक :– 18.03.2025

उनवानी दावाः

किशोर पुत्र केसरा जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)

–वादी–

बनाम

1. कैलाशी पुत्री हरजी पत्नी जगदीश जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी मुगलांनी हाल निवासी धाकड़ कॉलोनी, विधायक निवास के पीछे, टोडारायसिंह जिला टोंक (राज.)
2. गीता पुत्री हरजी पत्नी मदनगोपाल जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी मुगलानी हाल निवासी खरोई तहसील दूनी जिला टोक (राज.)
3. जगदीश प्रसाद पुत्र हरजी जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
4. जगदीशी पुत्री हरजी पत्नी मोहनमुरारी जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी मुगलानी हाल निवासी खरोई तहसील दूनी जिला टोक (राज)।
5. बरजी देवी पत्नी स्व. हरजी जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
6. रामगोपाल पुत्र हरजी जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टॉक (राज.)
7. तहसीलदार दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
8. शाखा प्रबंसक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा दूनी जिला टोक (राज.)

–प्रतिवादीगण–

उपस्थिति :–

श्री बाबूलाल मीणा
अधिवक्ता वादी

श्री धर्मराज गुर्जर
श्री रामधन चौधरी
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 व 4 ता 6,
एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 3

दावा तकासमा आराजीयात एवं स्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय/ अन्तिम डिक्री पेश हुई। पारित निर्णय इस प्रकार है कि प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय व प्राथमिक डिक्री आदेश दिनांक 15.12.2023 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली में बाद बहस पारित किया गया था। पारित आदेश की पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार दूनी से क्रमांक 1115 दिनांक 27.03.24 प्राप्त होकर शामिल पत्रावली की गई।

अधिवक्ता उभयपक्ष ने कुर्रेजात रिपोर्ट क्रमांक 1115 दिनांक 27.03.24 का अवलोकन किया गया।

अधिवक्ता वादी ने कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई आपति नहीं की। कुर्रेजात रिपोर्ट को सही बताया।

Scanned with OKEN Scanner

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपति प्रकट की कि कुर्रेजात रिपोर्ट को प्रतिवादीगण की उपस्थिति में तैयार नहीं की गई है और प्रतिवादीगण को अनउपजाऊ भूमि दी है। अतः प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट को खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष की बहस को मध्यनज़र रखते हुए कुर्रेजात रिपोर्ट क्रमांक 1115 दिनांक 27.03.24 को खारिज किया गया।

तहसीलदार दूनी को क्रमांक 628 दिनांक 13.06.24 से नियमानुसार पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करने हेतु पत्र लिखा गया।

न्यायालय के प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में तहसीलदार दूनी द्वारा क्रमांक 3242 दिनांक 11.07.24 से पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल पत्रावली की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट को अधिवक्ता वादी से अवलोकन करवाया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष ने कुर्रेजात रिपोर्ट सही है और कथन किया कि मुताबिक हाल कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री पारित कर दी जावें तो कोई आपति नहीं है।।

अधिवक्ता वादी की बहस में कुर्रेजात रिपार्ट पर सहमति को मध्यनजर रखते हुये कुर्रेजात रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार दूनी द्वारा विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम–1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार किये गये है। अतः प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री आदेश एतद् द्वारा पारित किया जाता है कि जमाबंदी सम्वत् 2074–77 वाके ग्राम मुगलानी पटवार हल्का मुगलाना भू. अभि.नि. घाड़ तहसील दूनी के खाता संख्या 88 खसरा नम्बर 134 रकबा 0.60 है0, खसरा नम्बर 150 रकबा 0.50 है0, खसरा नम्बर 153 रकबा 1.07 है0, खसरा नम्बर 225 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 227 रकबा 0.15 है0. खसरा नम्बर 234 रकबा 0.13 है0, खसरा नम्बर 254 रकचा 0.14 है0, खसरा नम्बर 255 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 258 रकबा 0.27 है0, खसरा नम्बर 303 रकबा 0.60 है0, खसरा नम्बर 330 रकबा 0.80 है0, खसरा नम्बर 439 रकबा 0.18 है0, खसरा नम्बर 445 रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 45 रकबा 0.32 है0, खसरा नम्बर 7 रकबा 1.98 है0. कुल किता 15 कुल रकबा 7.20 है0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। ....

तहसीलदार दूनी की कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान् का हिस्सा ग्राम मुगलानी पटवार हल्का मुगलाना भू. अभि. क्षैत्र घाड़ तहसील दूनी के खाता संख्या 88 में हिस्सा निम्न प्रकार रहेगाः–

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में	लगान
1	किशोर पुत्र केसरा जाति गुर्जर साकिन बी.ओ.बी शाखा दूनी सा. देह खातेदार	225	0.12	1.98
		227	0.15	2.48
		234	0.13	4.29
		258	0.27	8.91
		303	0.60	4.80

		439 मी.	0.09	1.98
		445 मी.	0.11	2.42
		45 मी.	0.15	1.20
		07	1.98	15.84
	कुल	किता 9	3.60	43.90
2	रामगोपाल पुत्र हरजी गुर्जर हि. 2/3, राहिन बी.ओ. बी शाखा दूनी जगदीश प्रसाद पुत्र हरजी हि. 1/3. कोम गुर्जर सा. देह खातेदार	134	0.60	4.80
		150	0.50	4.00
		153	1.07	8.56
		254	0.14	4.62
		255	0.11	3.63
		330	0.80	6.40
		439 मी.	0.09	1.98
		445 मी.	0.12	2.64
		45 मी.	0.17	1.36
	कुल	किता 9	3.60	37.99

उक्त सूची अनुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के उक्तानुसार हिस्से की भूमि की हद तक की भूमि मेंवादी के कब्जेकाश्त व उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे, वादी के हिस्से की भूमि में वादी के फसल काश्त करने, फसल की सिंचाई, निराई करने में बाधा उत्पन्न नहीं करे, वादी को जबरन बेदखल नहीं करे। राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति वाद की पालना तक बनाये रखे। तहसीलदार दूनी द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ संलग्न रहेगी। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

संशोधित निर्णय सरे इजलास दिनांक 18.03.2025 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

देवली

Scanned with OKEN Scanner

संशोधित अंतिम डिक्री

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी...मुकाम

देवली व अलजाम श्री मनोज कुमार मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक ....

उनवानी दावा:

किशोर पुत्र केसरा जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.) —वादी—

बनाम

9. कैलाशी पुत्री हरजी पत्नी जगदीश जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी मुगलांनी हाल निवासी धाकड़ कॉलोनी, विधायक निवास के पीछे, टोडारायसिंह जिला टोंक (राज.)
10. गीता पुत्री हरजी पत्नी मदनगोपाल जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी मुगलानी हाल निवासी खरोई तहसील दूनी जिला टोक (राज.)
11. जगदीश प्रसाद पुत्र हरजी जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
12. जगदीशी पुत्री हरजी पत्नी मोहनमुरारी जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी मुगलानी हाल निवासी खरोई तहसील दूनी जिला टोक (राज)
13. बरजी देवी पत्नी स्व. हरजी जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
14. रामगोपाल पुत्र हरजी जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टॉक (राज.)
15. तहसीलदार दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
16. शाखा प्रबंसक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा दूनी जिला टोक (राज.)

—प्रतिवादीगण—

उपस्थिति :—

श्री बाबूलाल मीणा
अधिवक्ता वादी

श्री धर्मराज गुर्जर
श्री रामधन चौधरी
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 व 4 ता 6,
एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 3

दावा तकासमा आराजीयात एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 70 सन् 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री मनोज कुमार मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री बाबूलाल मीणा व नरेन्द्र मीणा अधिवक्ता वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्री धर्मराज गुर्जर व श्री रामधन चौधरी विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 व 4 मा 6 व एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 3 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि....

आदेश

Scanned with OKEN Scanner

...सीलदार दूनी द्वारा विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) ...म-1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार किये गये है। अतः प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री आदेश एतद् द्वारा पारित किया जाता है कि जमाबंदी सम्वत् 2074-77 वाके ग्राम मुगलानी पटवार हल्का मुगलाना भू. अभि.नि. घाड़ तहसील दूनी के खाता संख्या 88 खसरा नम्बर 134 रकबा 0.60 है0, खसरा नम्बर 150 रकबा 0.50 है0, खसरा नम्बर 153 रकबा 1.07 है0, खसरा नम्बर 225 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 227 रकबा 0.15 है0. खसरा नम्बर 234 रकबा 0.13 है0, खसरा नम्बर 254 रकचा 0.14 है0, खसरा नम्बर 255 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 258 रकबा 0.27 है0, खसरा, नम्बर 303 रकबा 0.60 है0, खसरा नम्बर 330 रकबा 0.80 है0, खसरा नम्बर 439 रकबा 0.18 है0, खसरा नम्बर 445 रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 45 रकबा 0.32 है0, खसरा नम्बर 7 रकबा 1.98 है0. कुल किता 15 कुल रकबा 7.20 है0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। तदनुसार अन्तिम डिकी जारी हो। ....

तहसीलदार दूनी की कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा ग्राम मुगलानी पटवार हल्का मुगलाना भू. अभि. क्षैत्र घाड़ तहसील दूनी के खाता संख्या 88 में हिस्सा निम्न प्रकार रहेगाः-

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में	लगान
1	किशोर पुत्र केसरा जाति गुर्जर राहिन बी.ओ.बी शाखा दूनी सा. देह खातेदार	225	0.12	1.98
		227	0.15	2.48
		234	0.13	4.29
		258	0.27	8.91
		303	0.60	4.80
		439 मी.	0.09	1.98
		445 मी.	0.11	2.42
		45 मी.	0.15	1.20
		07	1.98	15.84
	कुल	किता 9	3.60	43.90
2	रामगोपाल पुत्र हरजी गुर्जर हि. 2/3, राहिन बी.ओ.बी शाखा दूनी जगदीश प्रसाद पुत्र हरजी हि. 1/3. कोम गुर्जर सा. देह खातेदार	134	0.60	4.80
		150	0.50	4.00
		153	1.07	8.56
		254	0.14	4.62
		255	0.11	3.63
		330	0.80	6.40
		439 मी.	0.09	1.98
		445 मी.	0.12	2.64
		45 मी.	0.17	1.36
	कुल	किता 9	3.60	37.99

उक्त सूची अनुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि

दी के उक्तानुसार हिस्से की भूमि की हद तक की भूमि मेंवादी के कब्जेकाश्त व ोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे , वादी के हिस्से की भूमि में वादी के फसल काश्त करने, फसल की सिंचाई, निराई करने में बाधा उत्पन्न नहीं करे, वादी को जबरन बेदखल नहीं करे। राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति वाद की पालना तक बनाये रखे। तहसीलदार दूनी द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ संलग्न रहेगी।।

निजी...मुवलिक..बाबत् ....
...........................खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 18 माह 03 सन् 2025 को जारी किया गया।

दस्तख्त ....

मुहर

ओहदा ....उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)

मुददई	रू.	पै.	मुददायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner